बिहार विशिष्ट करेंट अफेयर्स जून 2022

मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना (संबल)

चर्चा में क्यों ?

- 21 जून 2022 को बिहार मंत्रिपरिषद् की बैठक में कुल 13 एजेंडों पर निर्णय लिया गया ।

मुख्य बिंदु : -

- बिहार सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के लिए एक एकीकृत अधिकारिता योजना को मंजूरी दे दी है ।
- समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छत्र योजना के तहत संचालित 'सम्बल' योजना के माध्यम से चलंत (Locomotor) दिव्यांगजनों को बैट्री चालित ट्राई - साईकिल वितरण किये जाने का प्रावधान शामिल किया गया ।
- दिव्यांगजनों की पात्रता में परिवर्तन कर लगभग 10,000 चलंत (Locomotor) दिव्यांगजनों को एलिमको (ALIMCO) से बैट्री चालित ट्राई - साईकिल उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की गयी है ।
- सम्बल योजना के निमित्त राज्य सरकार द्वारा लाभुकों के लिए 4200 लाख (बयालीस करोड़) रूपये के व्यय की स्वीकृति दी गई है ।
- मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तिकरण योजना (संबल) विकलांग व्यक्ति (समान अवसर अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के सभी प्रावधानों को लागू करती है ।
- दिव्यांगों के लिए वर्तमान में सभी राज्य योजनाओं, जैसे : - मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना, सर्वेक्षण और प्रमाणन कार्ययोजना, मुख्यमंत्री समर्थ योजना, मुख्यमंत्री निःशक्तजन ऋण योजना, और दिव्यांगों के लिए कार्यशाला आदि सभी को एक साथ मिला दिया गया है और दिव्यांगों के अधिकारों की रक्षा और उन्हें बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तिकरण योजना (संबल) के तहत लाया गया है ।

पात्रता : -

- इस योजना के तहत वैसे लाभार्थी को शामिल किया जाएगा जिनकी दिव्यांगता 60 प्रतिशत या उस से अधिक हो (पहले यह मात्र 40 प्रतिशत थी) ।
- लाभार्थियों की उम्र सीमा 18 वर्ष या उससे अधिक निर्धारित की गयी है ।

- पात्र लाभार्थियों की वार्षिक आय अधिकतम 2 लाख रूपये हो तथा उनका आवास अपने महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, छात्रावास या रोजगार स्थल से कम से कम तीन किलोमीटर की अधिक की दूरी पर हो ।
- पात्र व्यक्ति बिहार राज्य का मूल निवासी होना हो ।
- लाभुक दिव्यांग व्यक्ति किसी सरकारी पद पर अपनी सेवा नहीं दे रहा हो ।
- लाभार्थी पहले से किसी कल्याणकारी योजना के अंतर्गत लाभ नहीं ले रहा हो ।
- दिव्यांग आवेदक के पास विकलांगता प्रमाण पत्र उपलब्ध होना चाहिए ।

योजना के प्रमुख घटक : -

- शैक्षिक पुनर्वास ।
- आर्थिक पुनर्वास और
- सामाजिक पुनर्वास ।

सिल्ट मैनेजमेंट पॉलिसी (गाद प्रबंधन नीति)

चर्चा में क्यों ?

- बिहार के जल संसाधन तथा सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री श्री संजय कुमार झा ने 16 जून 2022 को नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भारत में डैम सेफ्टी गवर्नेंस हेतु “बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021” विषय पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला एवं मंत्री सम्मेलन में भाग लिया और जल प्रबंधन के क्षेत्र में बिहार की उपलब्धियों और आवश्यकताओं से केंद्र को अवगत कराया ।
- बिहार में अवस्थित अधिकतर बड़े डैम 30 वर्ष से अधिक पुराने हैं और समय के साथ उनमें सिल्ट जमा हो गया है । सिल्ट जमा हो जाने से डैम की कुल जल संचयन क्षमता काफी कम हो गई है ।

मुख्य बिंदु : -

- डैम की जल संचयन क्षमता के पुनर्स्थापन के लिए राज्य सरकार केंद्र से तकनीकी और वित्तीय सहयोग की अपेक्षा कर रही है ।

- वर्तमान बिहार में लगभग 27 बड़े डैम और 5 प्रमुख बराज हैं। इन सभी डैमों/बरजों का बाँध सुरक्षा प्रकोष्ठ के सदस्यों द्वारा नियमित रूप से निरीक्षण किया जाता है।
- नदियों, जलाशयों, झील आदि में जमा गाद (सिल्ट) के प्रबंधन के लिए जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नेशनल सिल्ट मैनेजमेंट पॉलिसी, 2017 का प्रारूप दिसंबर 2021 में मंतव्य के लिए राज्यों को भेजा गया था।
- इस सन्दर्भ में बिहार सरकार का जल संसाधन विभाग अपना मंतव्य केंद्र सरकार को उपलब्ध करा चुका है। इसीलिए राज्य चाहता है कि, केंद्र द्वारा नेशनल सिल्ट मैनेजमेंट पॉलिसी को शीघ्रातिशीघ्र अंतिम रूप दिया जाये।
- वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में वर्ष 2005 में बिहार में जनता दल की सरकार बनी थी और वर्ष 2006 में ही बांध सुरक्षा अधिनियम 2006 भी बना था। इसके प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिये राज्य बांध सुरक्षा समिति और बांध सुरक्षा प्रकोष्ठ का भी गठन किया गया था।
- केंद्र सरकार यदि बांधों की सुरक्षा में लगे अभियंताओं के लिए आधुनिक तकनीक पर आधारित प्रशिक्षण की व्यवस्था करती है तो राज्यों को इसका व्यापक लाभ मिलेगा।

केंद्र सरकार से अन्य सिफारिश : -

- दक्षिण बिहार में सिंचाई क्षमता को मजबूत करने के लिए इंद्रपुरी जलाशय योजना जैसे अंतर्राज्यीय मुद्दों को हल करने में राज्य की सहायता करे।
- अपनी भौगोलिक अवस्थिति के कारण, राज्य का उत्तरी भाग नेपाल से आने वाली नदियों से बाढ़ के खतरे का सामना करता है अतः नेपाल में ऊँचे बांध के निर्माण में केंद्र द्वारा पहल करने की आवश्यकता है।
- उल्लेखनीय है कि बांध (डैम) की सुरक्षा में विफलता से होने वाली आपदाओं की रोकथाम करने और बांधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक संस्थागत तंत्र का गठन किया गया था।
- निर्दिष्ट बांधों की निगरानी, निरीक्षण, प्रचालन और रखरखाव की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए भारत सरकार द्वारा बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 (डैम सेफ्टी एक्ट 2021) को 14 दिसंबर, 2021 को अधिसूचित किया और उसके प्रावधान 30 दिसंबर, 2021 से प्रभावी हो गये हैं।
- अधिसंख्य नदियां नेपाल से बिहार में प्रवेश करती हैं तथा अपने साथ भारी मात्रा में गाद लेकर आती है। इस कारण नदी की धार में बार-बार बदलाव होता रहता है। इस वजह से तटीय कटाव निरंतर बढ़ता जा रहा है।
- कटाव से बचाव को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर गाद प्रबंधन नीति की जरूरत है। इस सन्दर्भ में बिहार सरकार द्वारा भी समय समय पर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

अमर प्रेम भवन

चर्चा में क्यों ?

- मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 05 जून को पटना के शक्तिधाम, अग्रसेन मार्ग (बैंक रोड) स्थित श्री दादी जी सेवा समिति द्वारा नवनिर्मित 'अमर प्रेम' भवन का लोकार्पण किया ।
- समान विचारधारा वाले लोगों की मदद से 'अमर प्रेम' भवन का निर्माण जरुरतमंदों एवं असहाय लोगों की सेवा के लिए किया जा रहा है ।

मुख्य बिंदु : -

- 'अमर प्रेम' भवन का निर्माण रानीसती मंदिर के ट्रस्ट (न्यास) श्री सती धाम सेवा समिति या दादी जी सेवा समिति भवन द्वारा किया जाता है ।
- श्री सती धाम सेवा समिति भवन का निर्माण सर्वप्रथम 20वीं शताब्दी के अंत में किया गया था ।
- इसकी कलात्मक और पारंपरिक भारतीय वास्तुकला के कारण इसे भारत सरकार द्वारा विरासत भवन के रूप में चिन्हित किया गया है ।
- 26 जनवरी 2001 को अचानक आये भूकंप के कारण दादी जी सेवा समिति भवन क्षतिग्रस्त हो गया था । बाद में फ्रांस और भारत के पुरातत्व विभाग ने इस भवन को पुनः निर्मित करने की योजना को साथ मिलकर साकार किया ।

रानीसती मंदिर

- झुंझुनू में श्री रानीसती(रानी सती दादीजी) मंदिर का इतिहास 400 से अधिक वर्षों से भी पुराना है और यह इतिहास की समृद्ध कहानियों के साथ नारी शक्ति और मातृत्व का एक उत्कृष्ट प्रमाण प्रस्तुत करता है तथा सभी पर्यटकों के के लिए आकर्षण का केंद्र है ।
- रानी सती दादीजी मंदिर जिसे दादी मैय्या मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, की स्थापना 20 अक्टूबर 1977 को श्रीमती बनारसीबाई नारायणदासजी - मौसीजी के द्वारा की गई थी ।
- भारत के महान कृति मंदिरों में गिना जाने वाला, झुंझुनू का रानीसती मंदिर अपने पुरातन चित्रों के लिए प्रसिद्ध है । इसका स्थान देश के सबसे पुराने तीर्थों में से एक के रूप में आता है । इसकी भव्य ऐतिहासिक कृति अपने आप में अद्वितीय है ।

BYJU'S EXAM PREP

- झुंझुनू के रानी सती मंदिर में न केवल भारत से बल्कि विश्व के सभी कोने से अरबों उपासक और अनुयायी प्रत्येक वर्ष आते हैं । देश-विदेश से आए श्रद्धालु प्रतिदिन कर्मकांड के अनुसार पूजा-अर्चना करते हैं ।
- झुंझुनू रानी सती मंदिर भारत के धर्मनिरपेक्ष विचारों का प्रतीक है क्योंकि यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन सभी धर्मों के अनुयायी समान पवित्रता, भक्ति और अटूट विश्वास के साथ श्री रानी सतीजी का अनुसरण करते हैं और उनकी पूजा करते हैं ।
- भादो अमावस्या के अवसर पर प्रत्येक वर्ष झुंझुनू में एक पवित्र पूजा उत्सव आयोजित किया जाता है । श्री रानी सती मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि, यहां किसी भी महिला या पुरुष अथवा भगवान की कोई मूर्ति या छवि नहीं रखी हुई है । शक्ति और बल के रूप में केवल एक त्रिशूल की पूजा की जाती है, जो हिंदू धर्म के अनुसार सर्वोच्च शक्ति का प्रतीक है।

कौन हैं रानी सती ?

- राजस्थान और देश के अन्य हिस्सों में मारवाड़ी समाज रानी सती दादी की पूजा करते हैं । उनका मानना है कि रानी सती दादी मां दुर्गा का स्वरुप हैं ।
- रानी सती दादी का संबंध महाभारत काल से है । महाभारत काल में रानी सती का उल्लेख अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के रूप में किया गया है । जब महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु की मृत्यु हो गई तब उत्तरा अभिमन्यु के अंतिम संस्कार की अग्नि में स्वयं सती होना चाहती थी । श्रीकृष्ण के सलाह पर बाद में उसने यह विचार त्याग दिया था ।

मुंगेरीलाल

चर्चा में क्यों ?

- बिहार के वर्तमान राज्यपाल श्री फागू चौहान ने 29 जून, 2022 को प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं पूर्व मंत्री स्व. मुंगेरी लाल की 21वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी ।
- मुंगेरी लाल के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की घोषणा " सादगी के प्रतिमूर्ति मुंगेरी लाल के जन्म स्थल कुर्जी मोहल्ला का नाम बदलकर मुंगेरी ग्राम कर दिया जाएगा " को वर्तमान मुख्यमंत्री से पूरा कराने की लगातार सिफारिश की जा रही है ।

- सुनीता कुमार फाउंडेशन द्वारा मुंगेरी लाल ट्रस्ट की स्थापना की घोषणा की गई एंव वेबसाइट mungerilaltrust.com का लोकार्पण किया गया ।

मुख्य बिंदु : -

- स्वतंत्रता सेनानी एवं सामाजिक न्याय के पुरोधा स्व. मुंगेरी लाल जी का जन्म 01 जनवरी 1904 को कुर्जी (कौटिल्य नगर) में हुआ था ।
- स्व. मुंगेरी लाल जी ने स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई थी एवं इस क्रम में ये कई बार जेल भी गए थे ।
- 1952 में पटना पश्चिम विधान सभा क्षेत्र से जीत हासिल कर बिहार विधान सभा के सदस्य बने ।
- 1952 से 1977 तक लगातार विधान सभा एवं विधान परिषद के सदस्य के रूप में कार्य किया और बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में मंत्री के रूप में अपना दायित्व निभाया ।
- मुंगेरी बाबू बिहार में गठित पहले पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष रहे थे । जिसे वर्तमान में मुंगेरी लाल आयोग के नाम से जाना जाता है । मुंगेरी लाल आयोग रिपोर्ट सामाजिक न्याय विषय पर आधारित एक अति विस्तृत अध्ययन है ।
- इस रिपोर्ट के माध्यम से मुंगेरी लाल जी ने सामाजिक स्थिति का संज्ञान लेते हुए समाज के पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण एवं सामान्य वर्ग के निर्धन एवं महिलाओं के लिए भी आरक्षण की अनेक अनुसंशाए की थी, जो सिर्फ उस समय की ही सामाजिक परिस्थिति ही नहीं बल्कि आज के समाज एवं सामाजिक न्याय के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है ।
- पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने जो रिपोर्ट पेश की उसी के आधार पर आज तक बिहार में पिछड़ों एवं अति पिछड़ों के लिये आरक्षण की व्यवस्था है ।
- मुंगेरी बाबू बिहार दलित वर्ग संघ एवं बिहार खेतिहर मजदूर संघ के भी अध्यक्ष रहे । उनके जीवन का मूल मंत्र सादा जीवन उच्च विचार रहा ।मुंगेरी लाल जी प्रखर गांधीवादी थे । वे पटना स्थित गांधी संग्रहालय से आजीवन जुड़े रहे साथ ही बिहार स्वतंत्रता सेनानी संघ के अध्यक्ष के रूप में भी अपना दायित्व निभाया ।
- मुंगेरी बाबू के ओजस्वी एवं सार्थक जीवन का सूर्य 29 जून, 2001 को पटना के कुर्जी स्थित होली फैमिली अस्पताल में अस्त हो गया ।

राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास

चर्चा में क्यों ?

- केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने 07 जून 2022 को बिहार के पटना और हाजीपुर में लगभग 13,585 करोड़ रुपये लागत वाली 15 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया ।

मुख्य बिंदु : -

- 15 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में 9,607 करोड़ रुपए की कुल 308 किलोमीटर लंबाई की 11 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का निर्माण किया जाएगा । साथ ही 2,761 करोड़ रुपए की लागत में कुल 100 किलोमीटर लंबाई की दो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण किया जाएगा । इस परियोजना के माध्यम से, महात्मा गांधी सेतु को पार करने में लगने वाला समय 2 से 3 घंटे का घटकर 5 से 10 मिनट तक रह जाएगा ।
- छपरा-गोपालगंज को 4 बाईपास के साथ 2 लेन का किया जा रहा है, जिससे यातायात के लिए बाईपास के द्वारा राजमार्ग से गुजरना संभव हो सकेगा । इससे शहर को यातायात मार्ग जाम की समस्या से राहत मिलेगी ।
- उत्तर बिहार को जोड़ने वाले मुख्य माध्यम गांधी सेतु के पूर्वी लेन का उद्घाटन भी माननीय मंत्री जी की उपस्थिति में वर्ष 2014 में किया गया था । वर्ष 2017 में इसे नए तरीके से बनाने का काम प्रारंभ हुआ था, किन्तु एक वर्ष पूर्व ही पश्चिमी लेन से आवागमन शुरू हो सका , पर यातायात जाम की समस्या निरंतर सामने आ रही थी ।
- उमागांव से जाने वाला रास्ता सीधे उच्चैठ भगवती और महिषी तारापीठ जैसे धार्मिक स्थलों को जोड़ेगा । औरंगाबाद-चोरदाहा सेक्शन के 6 लेन के मार्ग से उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल के साथ बिहार के सड़क संपर्क में सुधार होगा ।
- एनएच 80 पर बन रही 2 लेन की सड़क से बिहार, साहिबगंज और असम को अंतर्राज्यीय जलमार्ग टर्मिनल से जोड़ा जाएगा जिससे लॉजिस्टिक की लागत में कमी आएगी ।
- इसके अतिरिक्त, बेगूसराय एलीवेटेड फ्लाईओवर, जयनगर बाईपास आरओबी से यातायात सुविधाजनक होगा और लेवल क्रॉसिंग्स पर लगने वाले लंबे जामों से राज्य को राहत मिलेगी ।

BYJU'S EXAM PREP

कायमनगर से आरा 4 लेन मार्ग के निर्माण के साथ, आरा के लिए भीराज्य के अन्य क्षेत्रों से यातायात आसान हो जाएगा ।

- महात्मा गांधी सेतु का निर्माण कार्य वर्ष 1972 में प्रारंभ हुआ था और वर्ष 1982 में इसके पश्चिमी लेन और 1987 में पूर्वी लेन का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ था ।
- गंगा नदी पर पहले केवल 4 पुल बना था, लेकिन वर्तमान में इस नदी पर कुल 17 पुल बन रहे हैं । गांधी सेतु के समानांतर भी फोरलेन पुल बनाया जा रहा है । मुंगेर-भागलपुर-मिर्जा चैकी फोरलेन नया ग्रीनफील्ड कोरिडोर बनाया जा रहा है । साथ ही साथ मुंगेर मिर्जापुर के मौजूदा मार्ग को ठीक कर उसका और 10 मीटर चौड़ीकरण किया जाएगा ।
- देश के इतिहास का आईकॉन गांधी सेतू वर्तमान में लोहे का सबसे बड़ा पुल है । गंगा में इसी पुल के समानांतर नए पुल का काम जारी है, जो 2024 तक पूरा हो जाएगा जिससे वर्ष 2024 से पहले बिहार का रोड नेटवर्क अमेरिका के बराबर हो जाएगा ।

कामेश्वर सिंह दरभंगा-संस्कृत विश्वविद्यालय

चर्चा में क्यों ?

- महामहिम राज्यपाल-सह-कुलाधिपति श्री फ़ागू चौहान के निर्देश पर 28 जून, 2022 को कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा के कुलपति, प्रतिकुलपति एवं कुलसचिव के साथ विभिन्न जन-प्रतिनिधियों एवं अन्य स्रोतों से इस विश्वविद्यालय के संबंधों में प्राप्त अनियमितता संबंधी शिकायतों के आलोक में समीक्षा बैठक आयोजित की गई ।
- ज्ञातव्य हो कि बिहार के अधिसंख्य विश्वविद्यालयों (Universities of Bihar) में वित्तीय कुप्रबंधन (Financial Mismanagement) अपने चरम पर है तथा राज्य सरकार के आदेश के बावजूद भी विश्वविद्यालयों द्वारा 1,048 करोड़ रुपये का हिसाब नहीं दिया जा रहा है ।

मुख्य बिंदु : -

- बिहार शिक्षा विभाग (Bihar Education department) अब वित्तीय अनियमितता के तहत कुछ विश्वविद्यालयों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की तैयारी में है । इस सन्दर्भ में आगाह किया

है कि सप्ताह भर में उक्त राशि का हिसाब नहीं दिया गया तो आगे की कार्रवाई के लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे ।

- शिक्षा विभाग के वित्त पदाधिकारी के अनुसार पिछले वर्षों में आवंटित राशि के बकाया हिसाब के सम्बन्ध में बोधगया स्थित मगध विश्वविद्यालय और दरभंगा स्थित ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर है । दोनों संस्थानों ने चार सौ करोड़ रुपये का हिसाब नहीं दिया है ।
- बीएन मंडल विश्वविद्यालय (मधेपुरा) ने 97 करोड़, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय ने 67 करोड़ 88 लाख रुपये, बीआरए बिहार विश्वविद्यालय (BRA Bihar University), मुजफ्फरपुर ने 88 करोड़ 46 लाख रुपये, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय ने 43 करोड़ रुपये, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा ने 64 करोड़ 34 लाख, और मुंगेर विश्वविद्यालय ने 23 करोड़ 22 लाख रुपये का हिसाब नहीं दिया है। इसी तरह अन्य विश्वविद्यालयों से भी हिसाब नहीं मिला है । इसीलिए इन सभी विश्वविद्यालयों में वित्तीय कुप्रबंधन को लेकर शिक्षा विभाग गंभीर है ।

कामेश्वर सिंह दरभंगा-संस्कृत विश्वविद्यालय

- इसकी स्थापना 26 जनवरी 1961 ई. को स्व. महाराजाधिराज डॉ. श्री कामेश्वर सिंह की दानशीलता के फलस्वरूप हुई थी ।
- बिहार राज्य के तत्कालीन राज्यपाल डॉ. जाकिर हुसैन तथा तत्कालीन मुख्यमन्त्री बिहार केशरी डॉ. श्रीकृष्ण सिंह की सहायता से कामेश्वर सिंह दरभंगा-संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 1960 (बिहार एक्ट VI , 1960) के अधीन इस विश्वविद्यालय को मान्यता प्रदान की गई थी ।
- यह विश्वविद्यालय भारत के बिहार राज्य के अन्तर्गत दरभंगा नगर में अवस्थित है । इसका अधिकारिता क्षेत्र स्थापना काल में सम्पूर्ण भारतवर्ष था , किन्तु वर्तमान में इसका अधिकारिता क्षेत्र मात्र सम्पूर्ण बिहार राज्य में रह गया है ।
- वर्तमान समय में इस विश्वविद्यालय का संचालन अद्यतन संशोधित बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 (बिहार अधिनियम XXIII, 1976) और इस अधिनियम के अधीन बने नियमों - परिनियमों, विनियमों, अध्यादेशों, और निर्गत निर्देशों के अनुसार हो रहा है ।
- इस विश्वविद्यालय को अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त है और A. I. U. से सदस्यता भी मिला हुआ है ।
- इस विश्वविद्यालय को NAAC से प्रथम चक्र में 2006 से 2011 ई. तक B++ Grade प्राप्त हुआ था और द्वितीय चक्र में 2016 से 2021 ई. तक के लिए 2.70 CGPA के साथ 'B' Grade प्राप्त है ।

कुलाधिपति के रूप में राज्यपाल की शक्तियाँ और कार्य : -

- राज्यपाल सामान्य विश्वविद्यालयों, कृषि विश्वविद्यालयों, प्राविधिक विश्वविद्यालयों, चिकित्सा विश्वविद्यालयों तथा संगीत डीड-टू-बी-विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है ।
- राज्यपाल एक सर्च कमेटी का गठन करके सर्च कमेटी द्वारा संस्तुत नामों में से कुलपति का चुनाव एवं नियुक्ति करता है। इसके अतिरिक्त, कुलाधिपति के पास विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति को छुट्टी प्रदान करना, उन पर अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा दंडात्मक कार्यवाही करने का अधिकार भी निहित है ।
- विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद/न्यायालय के कुछ विशिष्ट सदस्य नामित करने का अधिकार तथा विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद द्वारा उन पारित क़ानूनों एवं अन्य नियमों को स्वीकृति अथवा अस्वीकृति प्रदान करना जो कुलाधिपति के पास स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किए गए हों ।
- कुलाधिपति के रूप में राज्यपाल के पास अपीलीय अधिकारी के सामान वे सभी अधिकार है, जिसके द्वारा वह अनेकों विश्वविद्यालय निकायों/ प्राधिकरणों के निर्णयों को रद्द कर सकता है, यदि वे उनके विचार में अधिनियमों, क़ानूनों, अध्यादेशों व विनियमों के विरुद्ध प्रतीत होते हों ।
- राज्यपाल विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों एवं छात्रों के ज्ञापन तथा प्रतिनिधित्व को सुनकर विश्वविद्यालय के शैक्षिक स्तर में सुधार करता है, शिक्षा सत्र को नियमित करता है आवश्यकता पड़ने पर पुलिस संबन्धित मुद्दों पर केंद्र सरकार का ध्यानाकर्षण भी करता है ।
- विश्वविद्यालयों के विभिन्न निकायों में प्रतिनिधित्व तथा उसके कॉलेजों की प्रबंध समितियों के संबंध में अंतिम रूप से चुनावी विवाद का निर्णय राज्यपाल ही करता है । इसके अतिरिक्त राज्यपाल विश्वविद्यालयों में विभिन्न श्रेणियों में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु विशेषज्ञों को नामित करता है ।
- राज्यपाल विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोह तथा उनके न्यायालयों/प्रबंधकारिणी समितियों की बैठकों की अध्यक्षता करता है और कुलपतियों व संबन्धित मंत्रालयों की समीक्षा बैठकें आयोजित करने का उत्तरदायित्व निभाता है ।
- कुलाधिपति के रूप में राज्यपाल को अन्य वह सभी अधिकार भी प्राप्त हैं, जो उन्हें अधिनियम व क़ानूनों द्वारा संविधान ने दिए हैं ।

राज्य विश्वविद्यालयों में राज्यपालों की भूमिका : -

- राज्य के राज्यपाल उस राज्य के विश्वविद्यालयों के पदेन कुलाधिपति होते हैं ।
- राज्यपाल के रूप में वह मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से कार्य करता है, जबकि कुलाधिपति के रूप में वह मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र होकर कार्य करता है तथा विश्वविद्यालय के सभी मामलों पर निर्णय लेता है ।

केंद्रीय विश्वविद्यालयों का मामला :-

- केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 और अन्य संवैधानिक विधियों के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष होते हैं ।
- दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करने तक सीमित राज्यपाल की भूमिका के साथ, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कुलाधिपति नाममात्र के प्रमुख होते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा केवल आगंतुक के रूप में नियुक्त किया जाता है ।
- कुलपति को भी केंद्र सरकार द्वारा गठित समितियों द्वारा चुने गए नामों के पैनल से विज़िटर द्वारा नियुक्त किया जाता है ।
- अधिनियम के अनुसार राष्ट्रपति को कुलाध्यक्ष के रूप में विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक पहलुओं के निरीक्षण को अधिकृत करने और सम्बंधित अधिकारियों/ प्राधिकारियों से पूछताछ करने का अधिकार होता है ।

राज्यपाल से संबंधित संवैधानिक प्रावधान : -

- संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिये एक राज्यपाल होगा । एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है । राज्यपाल केंद्र सरकार का एक नामित व्यक्ति होता है , जिसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है । संविधान के अनुसार, राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और सदैव दोहरी भूमिका निभाता है । वह राज्य के मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य होता है । राज्यपाल केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच एक महत्त्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है ।
- अनुच्छेद 157 और 158 के अंतर्गत राज्यपाल पद के लिये पात्रता संबंधी आवश्यकताओं को निर्दिष्ट किया गया है ।
- राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार क्षमादान और दंडविराम जैसी शक्ति भी प्राप्त है ।
- अनुच्छेद 163 के तहत कुछ विवेकाधीन शक्तियों के अतिरिक्त राज्यपाल को उसके अन्य सभी कार्यों में सहायता करने और सलाह देने के लिये मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद का गठन किये जाने का प्रावधान है ।
- संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत राज्य के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है ।
- अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्यपाल, राज्य की विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को स्वीकृति प्रदान करता है, अपनी स्वीकृति रोकता है अथवा राष्ट्रपति के विचार के लिये विधेयक को सुरक्षित रखता है ।

- संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में अध्यादेशों को प्रख्यापित भी कर सकता है ।

डॉ. अनुग्रह नारायण सिंह

चर्चा में क्यों ?

- 18 जून 2022 को बिहार के पहले उप-मुख्यमंत्री डॉ. अनुग्रह नारायण सिंह की जयंती पर राज्यपाल श्री फागू चौहान और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने डॉ. अनुग्रह नारायण सिंह की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया ।

मुख्य बिंदु : -

- इस वर्ष (2022 में) बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिन्हा की 135 वीं जयंती मनायी गई ।
- डॉ. अनुग्रह नारायण सिंह बिहार के पहले उप - मुख्यमंत्री के अतिरिक्त बिहार के पहले वित्तमंत्री (वर्ष 1937 में) भी थे ।
- बिहार विभूति डॉ अनुग्रह बाबू ने वर्ष, 1917 के चम्पारण सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी ।
- महात्मा गांधी ने चंपारण में हो रहे किसानों पर जुल्मों के विरुद्ध लड़ने हेतु अनुग्रह बाबू को आमंत्रित किया था ।
- डॉ सिंह का जन्म 18 जून, 1887 को औरंगाबाद जिले के पोईअवा गांव में हुआ था और उनका निधन 5 जुलाई, 1957 को पटना में हुआ था ।
- 10 अगस्त, 1942 को भारत छोड़ो आन्दोलन के दौरान अनुग्रह बाबू गिरफ्तार कर लिये गये थे ।
- बिहार विभूति डॉ. अनुग्रह नारायण सिंह को आधुनिक बिहार का निर्माता कहा जाता है ।
- बिहार के साथ बंगाल एवं नेपाल को लाभान्वित करने वाली दामोदर नदी घाटी परियोजना अनुग्रह बाबू के अथक प्रयासों की ही देन है ।
- बिहार के प्रशासन और मंत्रिमंडल में डॉ. अनुग्रह नारायण सिंह के भूमिका की तुलना सरदार पटेल की अखिल भारतीय स्तर के शासन में निभाई गई भूमिका से की जाती है ।
- डॉ. अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार में व्यवहारिक अर्थशास्त्र का पंडित माना जाता है ।
- सर्वप्रथम डा. राजेंद्र प्रसाद ने डॉ. अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति कहकर संबोधित किया था ।

गंडक नदी

चर्चा में क्यों ?

- 27 जून,2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गंडक नदी के तटीय कटाव की शिकायत मिलने पर वैशाली जिला के लालगंज प्रखंड के वलहा वसंता में गंडक नदी के तटीय कटाव निरोधी कार्यों का निरीक्षण किया ।

मुख्य बिंदु : -

- गंडक नदी के तटीय कटाव का मुख्य कारण नदी के दूसरे तट पर सिल्ट का अधिक मात्रा में जमा होना है । सिल्ट जमा होने से नदी की चौड़ाई एवं गहराई कम हो गयी है ।
- मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को नदी की चौड़ाई एवं गहराई को बढ़ाने के लिए नदी के दूसरे तट पर सिल्ट कटिंग के कार्य कराने का आदेश दिया ताकि नदी की चौड़ाई बढ़े । इससे तटबंध पर नदी के जल - प्रवाह का दबाव कम होगा और तटबंध भी सुरक्षित रहेगा ।
- बाढ़ के दौरान आवश्यक है कि गंडक नदी के प्रभावित तटबंध के आसपास के गाँवों के लोग स्वयं को को सजग एवं जागरूक रखें ।

गण्डक नदी : -

- गण्डक नदी, नेपाल और बिहार में बहने वाली एक नदी है जिसे बड़ी गंडकी या केवल गंडक भी कहा जाता है । इस नदी को नेपाल में सालिग्रामि या सालग्रामी और बिहारी मैदानों मे नारायणी और सप्तगण्डकी के नाम से भी जाना जाता है ।
- यूनानी के भूगोलवेत्ताओं द्वारा नामित कोंडोचेट्स (Kondochates) तथा प्राचीन भारतीय महाकाव्यों में उल्लिखित सदानीरा भी गंडक नदी ही है ।
- गण्डक नदी हिमालय से निकलकर दक्षिण - पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हुई नेपाल से भारत में प्रवेश करती है । त्रिवेणी पर्वत के पहले इसमें एक सहायक नदी त्रिशूलगंगा आकर मिलती है । यह नदी काफी दूर तक दक्षिण-पूर्व दिशा में बहती हुई उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्यों के बीच सीमा का भी निर्धारण करती है ।
- उत्तर प्रदेश में यह नदी महराजगंज और कुशीनगर जिलों से होकर प्रवाहित होती है । बिहार में यह चंपारण, सारन और मुजफ्फरपुर जिलों से होकर प्रवाहित होती हुई 192 मील की दूरी तय करती है ।

- गंडक नदी 765 किलोमीटर लम्बे घुमावदार रास्ते से गुज़रकर पटना के संमुख गंगा नदी में मिल जाती है । इस नदी की कुल लम्बाई लगभग 1310 किलोमीटर है ।
- गंडक नदी का कुल जलग्रहण क्षेत्र 46,300 किमी (17,900 वर्ग मील) है, जिसका अधिकांश भाग नेपाल में है । नेपाल हिमालय में , यह अपनी गहरी घाटी के लिए उल्लेखनीय है । गंडक नदी बेसिन में 8,000 मीटर उंचाई (26,000 फीट) से अधिक के तीन पहाड़ हैं धौलागिरी , मानसलू और अन्नपूर्णा । धौलागिरी गंडक बेसिन का उच्चतम बिंदु है ।
- गंडक नदी के किनारे बसे प्रमुख भारतीय शहर हैं : - वाल्मीकि नगर, हरिनगर (रामनगर), हाजीपुर और सोनपुर (जिसे हरिहर क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है) ।
-

बूढ़ी गंडक : -

- बूढ़ी गंडक, गंडक नदी की प्राचीन परित्यक्त धारा है जो गंडक के पूर्व में इसके समानांतर बहती है और मुंगेर के पूर्वोत्तर में गंगा नदी में मिल जाती है । गंडक नदी काली और त्रिशूली नदियों के संगम से बनी है , जो नेपाल की उच्च हिमालय पर्वतश्रेणी से निकलती है । इनके संगम स्थल से भारतीय सीमा तक गंडक नदी को नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है ।
- सोमेश्वर की श्रेणियों से निकलने के बाद बूढ़ी गंडक को शुरूआत में सिकराना नदी के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन अपने मार्ग में तिऊर नदी से मिलने के बाद इसे बूढ़ी गंडक नदी कहा जाने लगता है । बूढ़ी गंडक नदी का उद्गम स्थल मूलरूप से भारत के बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण में रामनगर व बगहा के बीच स्थित चऊतरवा चौर को माना जाता है । यह गंगा नदी की एक सहायक नदी है तथा इसे उत्तर बिहार की सबसे लम्बी नदी के रूप में जाना जाता है ।
- तिऊर नदी से मिलने के बाद यह नदी मुजफ्फरपुर व दरभंगा जिले में प्रवेश करती है तथा दक्षिण-पूर्व दिशा में 20 किलोमीटर के क्षेत्र में बहते हुए आगे बढ़ती है । यहां से यह नदी समस्तीपुर और बेगुसराय पहुंचती है, जहां यह सर्पीले आकार में बहने लगती है । इसी आकार में बहते हुए यह मुंगेर के पूर्वोत्तर में खगड़िया के पास में गंगा नदी में मिल जाती है ।
- बूढ़ी गंडक नदी की लम्बाई 320 किलोमीटर व जलागम क्षेत्र 12,021 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 9,601 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र बिहार राज्य के अंतर्गत व शेष क्षेत्र नेपाल में आता है । यह नदी अपने 320 किलोमीटर के इस सफर में बिहार राज्य के पूर्वी चम्पारण, मुजफ्फरनगर, समस्तीपुर, खगड़िया समेत कई अन्य जिलों से होकर गुजरती है ।
- बूढ़ी गंडक नदी उत्तरी बिहार के मैदान को दो भागों में बांटती है तथा इसकी धारा का बहाव उत्तर-पश्चिम से दक्षिण- पश्चिम दिशा की ओर है । अपनी यात्रा की शुरूआत में यह नदी पहले 56 किलोमीटर चलने के बाद अंत में दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है ।

गंडक परियोजना : -

- गंडक परियोजना बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है ।
- वर्ष 1949 के भारत-नेपाल समझौते के बाद इस परियोजना से नेपाल को भी लाभ मिलने लगा है ।
- इस परियोजना के अन्तर्गत गंडक नदी पर त्रिबेनी नहर हेड रेगुलेटर के नीचे बिहार राज्य के बाल्मीकि नगर में बैराज बनाया गया । इसी बैराज से चार नहरें निकलतीं हैं, जिसमें से दो नहरें भारत मे और दो नहर नेपाल में बहती हैं ।
- गंडक परियोजना कि सहायता से 15 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है और यहाँ से निकाली गयी नहरें चंपारण के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े क्षेत्र की सिंचाई करतीं है ।

जाति आधारित गणना

चर्चा में क्यों ?

- 01 जून 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सर्वदलीय बैठक के दौरान प्रदेश में जाति आधारित गणना कराने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया ।
- इस बार जाति आधारित गणना में आर्थिक गणना भी शामिल होगी ।

मुख्य बिंदु : -

- जातिगत जनगणना में प्रदेश के सभी वर्गों, धर्मों और संप्रदाय के लोगों को शामिल किया जाएगा ।
- इस जाति आधारित गणना के माध्यम से समाज के सबसे उपेक्षित लोगों का डेटा बेस बनाने में सहायता मिलेगी ताकि सबके विकास पर सरकार का ध्यान जा सके ।
- राज्य के इस जातिगत जनगणना में मुस्लिम समाज सहित सभी धर्म - संप्रदाय की जातियों एवं उपजातियों की गिनती होगी । ध्यान देने योग्य है कि पहले इस प्रकार कि किसी भी गणना में मुस्लिम समुदायों की उपजातियों को शामिल नहीं किया जाता था ।
- वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार वर्तमान बिहार में मुस्लिमों की लगभग 16.87 प्रतिशत, अनुसूचित जाति की लगभग 15.70 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति की लगभग एक प्रतिशत आबादी निवास करती है ।

- नीतीश सरकार पिछले चार साल से जातिगत जनगणना को लेकर प्रयास कर रही है । बिहार विधानमंडल में इस सन्दर्भ में फरवरी 2019 और 2020 में एक प्रस्ताव भी पारित हुआ था । उसके बाद अगस्त 2021 में बिहार के एक प्रतिनिधिमंडल ने वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से इस सम्बन्ध में मुलाकात करके बिहार में जातिगत जनगणना कराने की मांग भी की थी ।
- जातिगत जनगणना करने वाला बिहार देश का दूसरा राज्य होगा । इससे पहले कर्नाटक ने इस प्रकार कि जातिगत गणना करायी थी, किन्तु इसकी रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हो पायी थी ।
- इस गणना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के लोगों का सर्वांगीणरूप से विकास करना है । जो किसी कारणवश पीछे हैं , उपेक्षित हैं , उन सबका समग्र विकास हो । इस कार्य के लिए जिला मजिस्ट्रेट अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया जायेगा ।
- बिहार राज्य ने अपनी जाति जनगणना करने का निर्णय लिया तब लिया है, जब केंद्र सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया कि राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना अभी नहीं कराई जा सकती है ।
- केंद्र सरकार के वर्तमान आंकड़ों के अनुसार इस समय देश में कुल 3,747 जातियां हैं, लेकिन वर्ष 2011 के आधिकारिक सर्वे के अनुसार लगभग 4.28 लाख से ज्यादा जातियों एवं उपजातियों के आंकड़े सामने आए हैं ।

जनगणना का प्रारंभ : -

- बिहार में लगभग नौ दशक बाद सभी जातियों की आधिकारिक गणना होने जा रही है । जिससे यह बताया जा सकेगा कि कौन किस जाति का है और किस जाति की वर्तमान संख्या कितनी है । किस जाति के लोग कितने संपन्न हैं और किस जाति के लोग कितने विपन्न ।
- भारत में जनगणना की शुरुआत ब्रिटिश काल में वर्ष 1861 से हुई थी । इसमें विभिन्न जातियों के लोगों की जनगणना भी शामिल की जाती थी । तबसे लेकर वर्ष 1931 तक कुल आठ बार जनगणना हुई और इस दौरान हर बार राष्ट्रीय स्तर पर जातियों की संख्या भी गिनी गई थी ।
- ब्रिटिश राज में अंतिम बार वर्ष 1931 की जनगणना के साथ विभिन्न जातियों की जनसंख्या का सर्वे किया गया था । इस समय बिहार में कुल 24 जातियों की ही आबादी बताई गई थी । वर्ष 1941 में द्वितीय विश्वयुद्ध के कारण जनगणना संभाव नहीं हो सकी थी । स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में जब फिर से जनगणना शुरु हुई तो उसमें से जाति की गणना नामक शीर्षक को ही हटा दिया गया था ।
- इस जाति गणना का उद्देश्य केवल यह पता करना था कि किस जाति के लोगों की संख्या कितनी है । बाद में यह अफवाह फैला दी गई कि अंग्रेजी हुकूमत इसी के आधार पर लोगों से व्यवहार करेगी । कुलीन लोगों को शासन में सर्वोच्च स्थान प्राप्त होगा और निचले तबके के लोगों को उपेक्षित या निम्नतर मान लिया जाएगा ।

- श्रेष्ठता दिखाने के प्रयास में कुड़मी जाति (वर्तमान कुर्मी जाति से अलग) ने अपनी ब्रिटिश हुकूमत से देश के सभी कुर्मियों (कुड़मी समेत) के लिए क्षत्रिय स्टेटस की मांग कि और जातीय स्थिति में परिवर्तन की लड़ाई लड़ी ।
- संयुक्त बिहार के वर्तमान झारखंड क्षेत्र में निवास करने वाली कुड़मी (कुर्मी से अलग) जाति की गिनती पहले जनजाति समुदाय में होती थी । आल इंडिया कुर्मी क्षत्रिय महासभा ने वर्ष 1931 की जनगणना के पहले केंद्र सरकार को एक ज्ञापन भी दिया था ।
- परिणामस्वरूप स्वतंत्रता के बाद 1951 में जब जनगणना हुई तो झारखंड क्षेत्र में इसे अनुसूचित जनजाति की सूची से बाहर कर दिया गया ।
- ध्यान देने योग्य है कि अब वही कुड़मी समुदाय स्वयं को फिर से जनजाति समूह में शामिल करने के लिए लगातार राज्य में विभिन्न तरीके से आंदोलन कर रहा है ।
- बिहार में लोहार समेत कई अन्य जातियां ऐसी विशेष जाती की मांग कर रही हैं । यह केवल इसलिए हो रहा है कि आजादी के बाद संविधान में संविधान निर्माताओं द्वारा देश के सामाजिक रूप से दबे-पिछड़े वर्ग के लोगों को विशेष संरक्षण देने की व्यवस्था की गई है ।
- ध्यातव्य है कि, जाति के जनसँख्या की वास्तविक जानकारी का आज भी एकमात्र स्रोत वर्ष 1931 की जनगणना ही है, जिसके आंकड़े अब प्रासंगिक नहीं हो सकते हैं , क्योंकि उस समय ओडिशा के साथ - साथ झारखंड भी बिहार में था ।

जॉर्ज फर्नांडिस

चर्चा में क्यों ?

- 3 जून 2022 को स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस के जयंती को पहली बार राजकीय समारोह के रूप में मनाया गया ।

मुख्य बिंदु : -

- 3 जून 2020 को मुजफ्फरपुर के सिटी पार्क में स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस की प्रतिमा का अनावरण किया गया था ।
- स्वर्गीय जार्ज फर्नांडिस के जयंती को राजकीय समारोह के रूप में मनाने का निर्णय पिछले वर्ष 2021 में ही लिया गया था,किन्तु इस वर्ष कोविड के कारण ऐसा नहीं हो सका था ।
- जार्ज फर्नांडिस पांच बार मुजफ्फरपुर के सांसद रहे थे । वर्ष 1977 में मुजफ्फरपुर से पहली बार लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद उनका यहाँ से गहरा लगाव हो गया था ।

- मुजफ्फरपुर में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संस्थान के क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना कराने एवं उनको बढ़ावा देने में पूर्व केंद्रीय मंत्री जार्ज फर्नांडिस की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी ।
- इनके माध्यम से मुजफ्फरपुर ही नहीं, बल्कि राज्य के अन्य 22 जिलों में भी रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए थे । उनके समय में उत्तर बिहार कुटीर व लघु उद्योगों का माडल हुआ करता था । उन्होंने यहां एक नहीं दर्जनों राष्ट्रीय स्तर के उद्योग स्थापित कराए थे ।
- कांटी थर्मल पावर, मधौल पावर ग्रिड, मुजफ्फरपुर दूरदर्शन और बगहा- छितौनी रेल पुल की स्थापना स्वर्गीय जार्ज फर्नांडिस की ही देन है ।
- वर्ष 1977 में जार्ज फर्नांडिस के प्रयास से मुजफ्फरपुर में इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आइडीपीएल) तथा वर्ष 1978 में लिज्जत पापड़ की इकाई की स्थापना हुई थी ।

जीवन-परिचय :-

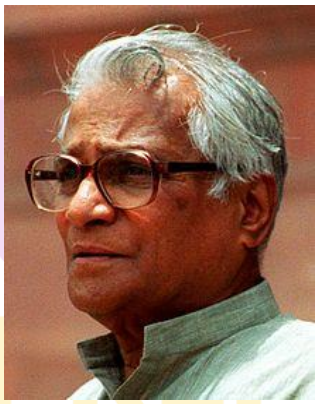

- जॉर्ज फर्नांडीस का जन्म 3 जून 1930 को मैंगलोर के मैंग्लोरिन-कैथोलिक परिवार में जॉन जोसेफ फर्नांडीस के घर हुआ था ।
- इन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा मैंगलौर के स्कूल से पूरी की। इसके बाद मैंगलौर के सेंट अल्योसिस कॉलेज से अपनी 12वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी की ।
- घर के पारंपरिक रिवाज के कारण जॉर्ज को मात्र 16 वर्ष की आयु में बैंगलोर के सेंट पीटर सेमिनरी में धार्मिक शिक्षा के लिए भेजा गया ।
- वर्ष 1949 में जॉर्ज मैंगलोर छोड़ मुंबई काम की तलाश में आ गए । मुंबई में इनका जीवन एक समाचार पत्र में प्रूफरीडर की नौकरी मिलने से पहले काफी मुश्किलों में बीता ।
- 1950 में जॉर्ज सामाजिक कार्यकर्ता राममनोहर लोहिया के करीब आए और उनके जीवन से काफी प्रभावित हुए ।
- 1989 में मुजफ्फरपुर से चुनाव दुबारा जीतने के बाद जॉर्ज जनता पार्टी में शामिल हो गए और वी.पी. सिंह की सरकार में कुछ वर्षों के लिए रेलमंत्री बने । इसी दौरान उन्होंने मैंगलोर और मुंबई को जोड़ने के लिए कोंकण रेलवे प्रोजेक्ट शुरू किया । यह प्रोजेक्ट भारतीय स्वतंत्रता के बाद से रेलवे के विकास के लिए पहला प्रोजेक्ट था ।
- वर्ष 1998 के चुनाव में वाजपेयी सरकार पूरी तरह सत्ता में आई और एनडीए का गठन हुआ । जॉर्ज फर्नांडीस एनडीए के संयोजक बनाए गए । वर्ष 1999 में जनता पार्टी दो भागों में बंट गई जिसमें से जनता दल यूनाटेड तथा जनता दल सेक्युलर बनी । जॉर्ज जदयू के साथ हो गए और अपनी समता पार्टी को जदयू में मिला दिया ।

- जॉर्ज एनडीए की सरकार में दोनों बार रक्षामंत्री बने। इनके रक्षामंत्री रहते हुए पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया था ।'ऑपरेशन विजय' इनके कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है ।

बाबा ब्रह्मेश्वर स्थान मंदिर

चर्चा में क्यों ?

- पर्यटन विभाग, बिहार सरकार ने 09 जून, 2022 को बाबा ब्रह्मेश्वर स्थान मंदिर के चहारदिवारी, शौचालय, चेंजिंग रूम, भीड़ के नियंत्रण हेतु क्यू प्रबंधन तथा मंदिर से सटे पाँच एकड़ के तालाब में घाट निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है ।

मुख्य बिंदु :-

- भगवान शिव को समर्पित बाबा ब्रह्मेश्वर स्थान मंदिर, बक्सर जिला के ब्रह्मपुर अंचल में अवस्थित है ।
- स्थानीय मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण स्वयं भगवान ब्रह्मा द्वारा किया गया था ।
- बिहार एवं उत्तरप्रदेश के श्रद्धालुओं के बीच इस मंदिर की विशेष मान्यता है । यहाँ मुख्य रूप से बिहार के बक्सर, भोजपुर, सारण एवं उत्तरप्रदेश के बलिया जिले से श्रद्धालु आते हैं ।
- लाखों की संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए पर्यटन विभाग, बिहार सरकार द्वारा बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर ब्रह्मपुर का सौंदर्यीकरण कर इसे आकर्षक बनाया जाएगा ।
- यहां तालाब से संगीतमय फव्वारा निकालने की व्यवस्था की जाएगी ताकि भव्यता को और बेहतर रूप दी जा सके ।
- इस परियोजना की कुल लागत 874 करोड़ रूपये है तथा यह वर्ष 2023 में पूर्ण कर लिये जाने की योजना है ।
- ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि, इस मंदिर का मुख्य दरवाजा पश्चिम मुखी है जबकि देश के अधिकांश शिव मंदिरों का दरवाजा पूर्व दिशा में अवस्थित होता है ।
- ऐतिहासिक साक्ष्य के अनुसार इस मंदिर का चमत्कार देख कर मोहम्मद गजनी, जो कि सम्पूर्ण भारत के मंदिरों को नष्ट करने के अभियान पर चला था को भी बिना मंदिर नष्ट किये उल्टे पांव वापस लौटना पड़ा था ।

खड़गपुर झील

चर्चा में क्यों ?

- पर्यटक की सुविधाओं को देखते हुए 10 जून, 2022 को पर्यटन विभाग, बिहार सरकार ने यहाँ मुलभूत सुविधा जैसे कैंटीन,देखने के लिए मीनार (Viewing deck), घाट एवं शौचालय का निर्माण कराने की योजना को स्वीकृति दे दी है ।

मुख्य बिंदु : -

- इस सौन्दर्यीकरण परियोजना की कुल लागत 6.84 करोड़ रुपये है ।
- खड़गपुर झील का निर्माण सन् 1876 में दरभंगा राजा के द्वारा करवाया गया था । वर्तमान में सिंचाई विभाग, बिहार सरकार इसका रख-रखाव एवं संचालन कर रही है ।
- यह झील बिहार के मुंगेर जिले में हवेली खड़गपुर से तीन किलोमीटर की दूरी पर मनी नदी पर अवस्थित है । यह चारों ओर से छोटे-छोटे पहाडियों से घिरा हुआ एक अत्यंत रमणीय स्थल है । यह झील लगभग 5 हजार एकड़ में फैला है एवं आसपास के 64 वर्गमील का पानी यहाँ जमा होता है ।
- स्थानीय लोगों के लिए यह बहुत ही विशेष पर्यटन स्थल है, यहाँ मुख्य रूप से हवेली खड़गपुर एवं मुंगेर जिला के विभिन्न क्षेत्रों से पर्यटक आते हैं ।
- प्रत्येक साल नववर्ष के अवसर पर यहाँ लाखो पर्यटक आते है । छोटी पहाडियों के कारण यहाँ का सूर्यास्त बड़ा मनमोहक होता है, इस कारण यहाँ विभिन्न Sunset view point बनाए गये हैं ।
- प्रसिद्ध इतिहासकार बुकानन ने इस खूबसूरत झील की तुलना स्विटजरलैंड के किलनरी झील से की थी ।

FSSAI की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला

चर्चा में क्यों ?

- 05 जून, 2022 को बिहार राज्य के पूर्वी चंपारण जिले के रक्सौल में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण व रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया और बिहार सरकार के स्वस्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने संयुक्त रूप से देश के चौथे और राज्य के पहले राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया ।

मुख्य बिंदु : -

- भारत-नेपाल के मध्य हुए द्विपक्षीय समझौते के अंतर्गत FSSAI, राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला की स्थापना नेपाल से रक्सौल में आयातित खाद्य पदार्थों के नमूनों की जांच में लगने वाले समय को कम करने के लिए की गई थी ।
- कानूनी प्रक्रियाओं के साथ जाँच हेतु भोजन के नमूने पहले कोलकाता की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला को भेजे जाते थे । इस प्रयोगशाला के उद्घाटन समारोह में नेपाल सरकार के कृषि और पशुधन विकास मंत्री महेंद्र राय यादव भी उपस्थित थे ।
- बिहार के रक्सौल में खाद्य प्रयोगशाला के हो जाने से अब नेपाल और भारत में अधिक खाद्य उत्पादों का आयात-निर्यात करने तथा अधिक कुशलता से व्यापार के माध्यम से दोनों देशों को एक दूसरे से जोड़ने का दायरा बढ़ेगा ।
- नेशनल एक्रिडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज (एनएबीएल) द्वारा इस साल जुलाई-अगस्त तक खाद्य प्रयोगशाला को मान्यता प्राप्त हो जाएगी ।
- प्रयोगशाला शीघ्र ही अनाज, वसा और तेल, मसाले, फल, सब्जियां और पैकेज्ड पेयजल के नमूनों का परीक्षण शुरू करेगी ।
- आवश्यकता पड़ने पर भारत नेपाल के काठमांडू फूड लैब को नेशनल एक्रिडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज (एनएबीएल) से मान्यता दिलाने में भी मदद करेगा ।
- रक्सौल में खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन प्रारंभ से ही नेपाल के निर्यातकों का निरंतर अनुरोध था, जिसे भारत सरकार अब 2022 में पूरा कर रही है ।
- राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला के उद्घाटन ने भारत के पड़ोसी देश की इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास किया है । यह प्रयोगशाला दोनों भारत – नेपाल के मध्य संबंधों को सुधारने, इसे आर्थिक रूप से एक मजबूत राष्ट्र बनाने और दोनों देशों के बीच संबंध सुधारने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है ।

FSSAI (भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण)

- FSSAI, भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 5 September, 2008 को गठित एक स्वायत्त संगठन है ।
- भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की स्थापना Food Safety and Standards(FSS) Act, 2006 के अंतर्गत सुरक्षा एवं विनयमन के उद्देश्य से की गई थी ।
- विनियमन एवं पर्यवेक्षण के माध्यम से FSSAI लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा का ध्यान रखती है एवं उसे बेहतर बनाने का काम करती है ।

- FSS ACT, 2006 का मुख्य लक्ष्य विभिन्न स्तरों, विभागों के खाद्य सुरक्षा एवं मानकों के कार्य को किसी एक संगठन का निर्माण करके उसे पूर्ण रूप से सौंप देने का था ।
- FSSAI की स्थापना इसलिए भी की गई है, ताकि खाद्य सम्बन्धी मामलों के लिए एक ही संस्था हो और खाद्य सम्बन्धी उत्पादों का निर्माण करने वाले निर्माण कर्ताओं, व्यपारियों, निवेशकों एवं ग्राहकों को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े ।
- FSSAI खाद्य पदार्थों/सामग्री का उत्पादन करने वाली इकाइयों पर नियंत्रण एवं निगरानी रखती है । इसलिए जब किसी उद्यमी द्वारा इस प्रकार का कोई व्यवसाय किया जाता है तो उसे FSSAI से लाइसेंस लेना अति आवश्यक हो जाता है ।

FSSAI के कार्य : -

FSS Act, 2006 के अंतर्गत FSSAI के कुछ अनिवार्य कार्य निम्नलिखित हैं : -

- खाद्य सम्बन्धी मानदंडों और दिशानिर्देशों को निर्धारित करने के लिए विनियमों का निर्धारण और इस सन्दर्भ में अधिसूचित विभिन्न मानकों को लागू करने की उचित व्यवस्था करना ।
- खाद्य सम्बन्धी व्यवसायों के लिए खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के प्रमाणीकरण के लिए आवश्यक तंत्र और दिशानिर्देश तैयार करना ।
- प्रयोगशालाओं के प्रमाणीकरण और मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं की अधिसूचना के लिए संदर्भित प्रक्रिया और दिशानिर्देशों को निर्धारित करना ।
- खाद्य सुरक्षा और पोषण से प्रभावित क्षेत्रों में नीति-नियमों को तैयार करने के सम्बन्ध में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को वैज्ञानिक सलाह एवं तकनीकी सहायता प्रदान करना ।
- भोजन की खपत, भोजन में दूषित पदार्थ, विभिन्न अवशेषों, खाद्य पदार्थों में प्रदूषकों, संभावित जोखिमों की पहचान करना और इसके लिए शीघ्रातिशीघ्र चेतावनी प्रणाली की शुरूआत के बारे में आंकड़े संगृहीत करना भी FSSAI का एक प्रमुख कार्य है ।
- देश भर में सूचना नेटवर्क का निर्माण करना ताकि उपभोक्ता, पंचायत आदि खाद्य सुरक्षा और चिंता के मुद्दों के बारे में तेजी से, विश्वसनीय और उद्देश्यपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकें।
- ऐसे व्यक्तियों या उद्यमियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था करना, जो खाद्य सम्बन्धी व्यवसायों में शामिल हैं या खाद्य व्यवसायों में शामिल होने की अपनी इच्छा रखते हैं ।
- खाद्य, स्वच्छता और फाइटो सेनटरी मानकों के लिए अंतरराष्ट्रीय तकनीकी मानकों के विकास में योगदान देना ।
- खाद्य सुरक्षा और खाद्य मानकों के बारे में जनता एवं उद्यमियों के बीच सामान्य जागरूकता को बढ़ावा देना ।

FSS Act, 2006 में सात पुराने खाद्य पदार्थो से सम्बंधित अधिनियमों को समाहित कर दिया गया है : -

1. Prevention of Food Adulteration Act, 1954
2. Fruit Products Order, 1955
3. Meat Food Products Order, 1973
4. Vegetable Oil Products (Control) Order, 1947
5. Edible Oils Packaging (Regulation) Order, 1988
6. Solvent Extracted Oil, De- Oiled Meal and Edible Flour (Control) Order, 1967
7. Milk and Milk Products Order, 1992.

दुर्गावती जलाशय परियोजना

चर्चा में क्यों ?

- दुर्गावती जलाशय में केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण विभाग के साथ बिहार पर्यटन विभाग ने संयुक्त रूप से जुलाई माह से रिवर सफारी प्रारंभ करने का निर्णय लिया है ।

मुख्य बिंदु : -

- दुर्गावती जलाशय का रिवर सफारी बिहार का ऐसा पहला सफारी होगा जिसमें जंगल और नदी दोनों का आनंद एक साथ लिया जा सकता है ।
- जलाशय के एक किनारे पर मौजूद रोहतास और दूसरी तरफ मौजूद कैमूर पहाड़ी का इलाका सैलानियों के लिए काफी रमणीय होगा ।
- रिवर सफारी के लिए 25 सीटर डबल हल्क नाव की सहायता से नदी के अंदर गुप्ता धाम की ओर छह किलोमीटर तक कि यात्रा करायी जाएगी, जहां उतरकर पर्यटक वन क्षेत्र में घूमने का आनंद ले सकेंगे ।
- पर्यटकों के लिए 4 किलोमीटर जंगल सफारी और 6 किलोमीटर जलाशय में रिवर सफारी की यात्रा का प्रबंध किया गया है ।

- दुर्गावती परियोजना की नींव तत्कालीन उप प्रधानमंत्री जगजीवन राम ने वर्ष 1976 में रखी थी । वर्ष 2014 में 38 वर्ष बाद इस परियोजना का उद्घाटन हुआ था ।
- पर्यटक बिहार में इससे पहले गंडक नदी पर बाल्मिकी नगर में रिवर सफारी का आनंद ले रहे थे । परंतु नदी में वोट पर सवार होकर आगे जाने पर पर्यटकों को सघन वन क्षेत्र के इलाके में घूमने से वंचित होना पड़ता था ।
- बाल्मिकी नगर की रिवर सफारी का नदी से बाहर का इलाका वन क्षेत्र से बहुत दूर था । जिसके कारण बाल्मिकी नगर के इस सफारी में दर्शक सिर्फ नदी या जलाशय का ही आनंद ले पाते थे ।

योगेन्द्र पांडेय

चर्चा में क्यों ?

- बिहार सरकार के पूर्व लघु सिंचाई राज्यमंत्री व गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक योगेन्द्र पांडेय का 88 वर्ष के आयु में 07 जून, 2022 को निधन हो गया ।

मुख्य बिंदु : -

- महामहिम राज्यपाल श्री फ़ागू चौहान एवं मुख्नयमंत्री श्री नितीश कुमार ने पूर्व मंत्री योगेन्द्र पाण्डेय के निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है ।
- बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव ने जब पहली बार बिहार की बागडोर संभाली थी तो योगेन्द पांडेय को अपने मंत्रिमंडल में स्थान दिया था । वर्ष 1990 से 1995 के बीच वे बिहार के लघु सिंचाई राज्यमंत्री रहे थे ।
- आजीवन समाजवादी विचारधारा से जुडे योगेन्द्र पांडेय 90 के दशक में तब विशेष रूप से चर्चा में आये, जब उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी को चांदी के सिक्के से तौला था ।
- उल्लेखनीय है कि वर्ष 1985 में गोविंदगंज विधानसभा (मोतिहारी) क्षेत्र से, निर्दलीय उम्मीदवार के रुप में योगेन्द्र पांडेय पहली बार विधायक बने थे । वर्ष 1990 में वे जनता दल के टिकट पर दुबारा विधायक चुने गए थे ।
- योगेन्द्र पांडेय ने अपने जीवन काल में जन वितरण प्रणाली दुकानदार से मुखिया, कॉपरेटिव बैंक के वायस चेयरमैन, भूमि विकास बैंक के चेयरमैन, फिर विधायक और अंत में मंत्री तक का सफर लोकप्रियता के आधार पर तय किया था ।

- उन्होंने अपने मंत्री काल में अरेराज में अनुमंडल की स्थापना के साथ-साथ अरेराज प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को रेफरल अस्पताल का दर्जा दिलाने, संग्रामपुर को प्रखंड का दर्जा दिलाने, दूबे टोला गांव में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना कराने के अतिरिक्त जन विकास संबंधी कार्यों में अपना अहम योगदान दिया ।

श्री गुरूदेव बलराम जी

चर्चा में क्यों ?

- प्रदेश के महामहिम राज्यपाल श्री फ़ागू चौहान ने 05 जून, 2022 को यारपुर, पटना स्थित मातृ उद्बोधन आश्रम के प्रांगण में श्री गुरूदेव बलराम जी की प्रतिमा का अनावरण किया ।

मुख्य बिंदु : -

- श्री श्री 1008 गुरुदेव बलराम जी महाराज मातृउद्बोधन आश्रम, यारपुर के संस्थापक एवं संरक्षक दोनों थे ।
- बाबा बलराम का जन्म 5 जून, 1933 को हुआ था । मात्र 17-18 वर्ष की उम्र में अपने गुरु एस. के. भट्टाचार्या के सान्निध्य में उन्होंने साधना शुरू कर दी थी ।
- बाबा गुरुदेव बलराम जी ने वर्ष 1962 यारपुर, पटना में मातृ उद्बोधन आश्रम की स्थापना की थी ।
- अपने जीवन में अनगिनत लोगों को धर्म सुकर्म के पथ लाया और अपने जीवन के अंतिम क्षण तक मानवीय सेवा में लगे रहे ।
- अपने जीवन में पूर्ण आध्यात्मिक सफलता के साथ वर्ष 1975 में शत चंडी महायज्ञ, 1987 में सहस्त्र चंडी महायज्ञ, 1991 में लक्ष चंडी महायज्ञ तथा वर्ष 2009 में कोटि चंडी महायज्ञ का आयोजन कराया था ।
- मानव सेवा को देखते हुए रुद्र अभिषेक फाउंडेशन, लंदन ने इन्हें इंटरनेशनल हिंदू अवार्ड और देवी धाम हॉलैंड ने मिलेनियम इंटरनेशनल हिंदू अवार्ड से सम्मानित किया था ।
- इनके शिष्यों में पूर्व रेल मंत्री ललित नारायण मिश्र पूर्व मुख्यमंत्री डा. जगन्नाथ मिश्र के अलावा कई बड़े राजनीतिज्ञ भी रहे हैं ।